निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:- 77/2018

दायरा दिनांक:- 22/10/2019

निर्णय दिनांक:- 31-03-2022

उनवान

राधेश्याम पुत्र मोहनदास जाति बैरागी निवासी बड़ा तहसील बारां जिला बारां

बनाम

1. पुष्पा पत्नी किशोर जाति खटीक
2. भंवरलाल पुत्र किशोर जाति खटीक
3. बेणीराम पुत्र किशोर जाति खटीक
4. राजू पुत्र किशोर जाति खटीक
5. हीरालाल पुत्र किशोर जाति खटीक निवासी गण बड़ा तहसील बारां जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक:-31-03-2022

अभिभाषक उपस्थित:- 1. श्री बालमुकुंद गुर्जर:- प्रार्थी

2. श्री ओम प्रकाश मेहता:- अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:10 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के कब्जे एवं [illegible] व जरिए

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

पुजारी आराजी खसरा नंबर 1312 रखवा 1 पॉइंट 70 हेक्टेयर खसरा नंबर 1313 रखवा 0 पॉइंट 94 हेक्टेयर खसरा नंबर 764 रखवा 007 हेक्टेयर खसरा नंबर 830 रखवा 0 पॉइंट 10 हेक्टेयर खसरा नंबर 831 रखवा 0.06 हेक्टेयर कुल किता 5 रखवा 3 पॉइंट 78 हेक्टेयर बांके माल बड़ा तहसील बारां में स्थित है जिस पर प्रार्थी का आराजी खसरा नंबर 1312 रखवा 1 पॉइंट 70 हेक्टेयर पर कागज का चला आ रहा है प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का रास्ता अपने पूर्वजों के समय से ही खसरा नंबर 1316 रखवा 0 पॉइंट 69 हेक्टेयर के अलावा दक्षिणी पश्चिमी मेड से आम रास्ता कायम था जो आगे तक प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1312 तक जाता है अप्रार्थी खातेदार आराजी खसरा नंबर 1316 पुष्पा पत्नी किशोर जाति खटीक निवासी बड़ा जरिए पुत्र भंवरलाल बेनी राम राजू हीरालाल पुत्र किशोर जाति खटीक निवासी गण बड़ा तहसील बारा द्वारा आम रास्ते मेड से लगवा रास्ते पर जबरन व ताकत के बल पर कब्जा कर आम रास्ते को आराजी खसरा नंबर तीन 1316 के रखे में हाक जोत कर खेती कर अवरुद्ध कर दिया गया है जिस से प्रार्थी खेती-बाड़ी का कार्य करने से वंचित हो गया है प्रार्थी का खेत अप्रार्थी गण द्वारा आम रास्ता अवरुद्ध करने के कृत्य के कारण प्रार्थी आराजी खसरा नंबर 1312 को कास्त करने से वर्तमान में रास्ते के अभाव में खेती बाड़ी बुवाई करने से वंचित हो गया है अप्रार्थी गण द्वारा वर्तमान में प्रार्थी के खेत का रास्ता पूर्ण रूप से अवरुद्ध किए जाने के कारण प्रार्थी की ओर से श्रीमान को शिकायत ही प्रार्थना पत्र पेश है पूर्व में हल्का पटवारी द्वारा आम रास्ते कि मैं रिकॉर्ड पैमाइश की गई है जिसमें प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1312 तक रिकॉर्ड अनुसार आम रास्ता कायम किया जाकर अप्रार्थी गण को आम रास्ते को खुलासा करने के लिए कहा गया था उसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में आम रास्ता अवरुद्ध कर रखा है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में बुवाई करने से वंचित हो गया है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी गणों से आम रास्ता खुलासा करने की दिनांक 15 सितंबर 2018 को कहने पर गाली गलौज करते हुए [illegible] आमादा हुए तथा धारा 3 एस सी एस टी एक्ट मैं फंसाने की धमकी दी गई प्रार्थी बमुश्किल जान बचाकर वापस घर आ गया प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

गरीब व्यक्ति है जो पुजारी का कार्य करते हुए खेती-बाड़ी के सहारे पूरे परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ आम रास्ते खुलासा करने के लिए पूर्व में कई बार अप्रार्थी गणों द्वारा गाली-गलौज व गांव भगाने की धमकियां दी जा चुकी है प्रार्थी अप्रार्थी गणों के कृत्यों से काफी दुखी हो चुका है प्रार्थी अप्रार्थी गणों के मध्य ए अप्रार्थी गणों द्वारा रास्ता खुलासा नहीं किया गया तो कभी भी गंभीर झगड़ा हो सकता है प्रार्थी को एअप्रार्थी गणों को पुनः आम रास्ता खुलासा करवाया जा कर भविष्य में आम रास्ते पर अतिक्रमण कर विरोध नहीं करने हेतु पावन किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है जिस से प्रार्थी मंदिर की जमीन को शांतिप्रिय तरीके से कार्य कर सकें प्रार्थी की मंदिर की आराजी पर आने जाने वाले आम रास्ते का उपयोग उपभोग अपने पूर्वजों के समय से ही करता चला आ रहा था लेकिन इस वर्ष से है अप्रार्थी गणों ने आम रास्ते को खुर्द बोर्ड कर अतिक्रमण कर आम रास्ते को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया गया है प्रार्थी को आने-जाने कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में रास्ते को अवरुद्ध किए जाने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का मात्र एक ही रास्ता सदियों से जो रिकॉर्ड में है रहा है अप्रार्थी ने जानबूझकर प्रार्थी को परेशान करने की नियत आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है प्रार्थी का आम रास्ता खुलासा किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है जिस से प्रार्थी अपने खाते की आराजी पर समय पर कृषि कार्य कर सकते हैं बाद पत्र के साथ संलग्न नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न है रास्ता कायम करवाया जाना अति आवश्यक है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी गण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा तहसील बारा संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 665 नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नक्शा ट्रेस नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 275 पेश की गई रास्ते से संबंधित तहसीलदार बारां से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौड़ाया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाक्य ग्राम बड़ा में स्थित है प्रार्थी का अपने खेत पर जाने का रास्ता खसरा नंबर 16 की मेड से होकर जाते थे प्रतिवादी द्वारा उक्त रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है जिससे प्रार्थी अपने खेत पर जाने से वंचित है तथा खेती को कास्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रतिवादी गण द्वारा खसरा नंबर 1316 की मेड पर होकर केम रास्ते को खुलासा करवाया जाए ताकि प्रार्थी को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में नियम अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी द्वारा प्रतिवादी गण को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारों पर वाद पेश किया है जो चलने योग नहीं है प्रतिवादी क्रम एक उत्सव आई का स्वर्गवास हो चुका है कोई खातेदार का काश्तकार नहीं है तथा पुजारी है जिसको कार्रवाई करने का अधिकार भी नहीं है इस कारण वाद पत्र खारिज किया जाए विवादित जगह पर आज दिन तक कोई रास्ता नहीं रहा और ना ही नक्शा में रास्ता है मेड पर होकर रास्ता रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाए जावे।

बहस अभिभाषक विपक्ष कारण सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 665 के अनुसार मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज विराजमान हिस्सा पूर्ण खातेदारी में दर्ज है खसरा नंबर 1312 1313 मंदिर नरसिंह महाराज विराजमान के के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम बड़ा संवत 2073 से 2076 खाता संख्या 275 के अनुसार पुष्पा पत्नी किशोर हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा कंधे की खातेदारी में दर्ज है रास्ते बाबत तहसीलदार बारां से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट ली गई तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि राधेश्याम बनाम पुष्पा बाई का मौका देखा गया ग्राम बड़ा की आराजी खसरा नंबर 1312 पर मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज विराजमान सा कंधे के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है का रास्ता आराजी खसरा नंबर 13 से 16 खातेदार पुषायायी पत्नी किशोर जाति खटीक में से होकर निकलवाना चाहता है प्रार्थी को रास्ते हेतु समीप व वैकल्पिक रास्ता आराजी खसरा नंबर 1316 की मेड से होकर उचित रहेगा प्रार्थी का खेत खसरा नंबर 1312 मेन रोड से 70 मीटर दूर स्थित है एवं प्रार्थी को रास्ते हेतु 70 * 4 बराबर 280 वर्ग मीटर रास्ते की आवश्यकता है प्रार्थी राधे श्याम मंदिर की श्री नरसिंह जी महाराज विराजमान सा कंधे की पूजा-अर्चना करता है एवं पूर्व में भी इसी रास्ते से होकर निकलता था इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी खसरा नंबर 1316 कि मेड से पूर्व से ही निकलता था। भूमि वर्तमान में मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज के खातेदारी की है प्रार्थी मंदिर की पूजा अर्चना करता है तथा मंदिर की भूमि को काम करता है प्रार्थी मंदिर की भूमि पर जाने हेतु रास्ते को लेकर विवाद सामने आया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा करने पर रास्ता दिया जाना उचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेका अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी बांके ग्राम बढ़ा तहसील बारां के खसरा नंबर 1312 रखवा 1 पॉइंट 70 हेक्टेयर पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 1316 कि मेड पर होकर 70 * 4 = 280 वर्ग फीट दिया जाता है प्रार्थी उक्त रास्ते के बदले वर्तमान डीएलसी दर का दोगुना राशि तहसीलदार बारां को जमा करावे तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 1316 के खातेदार को राशि का भुगतान कर नियमानुसार रास्ता राजेश रिकॉर्ड में अमल बरामद किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:10 IST
Reason: SelfAttested

दिव्यांश शर्मा
आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner